



प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग निदेशालय, उ०प्र०,

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रु.897.00 करोड़ के सापेक्ष रु.403.57 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक-वाई०ई०ए०/वित्त/1217/2022 दिनांक 22.01.2022 एवं मुख्य कार्यपत्रांक अधिकारी, गोरखपुर, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक 4994/गीडा/अभि०नि०-6/शासन/2022-23 दिनांक 28.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी०एम० गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत यीडा एवं गीडा द्वारा मांगी गई धनराशि क्रमशः रु.226.57 करोड़ एवं रु.177.00 करोड़ धनराशि के सापेक्ष (कुल 403.57 करोड़) के सापेक्ष रु.897.00 करोड़ बजट में उपलब्ध है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त धनराशि रु. 403.57 करोड़ (रु. चार अरब तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखा शीर्ष-4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य उद्योग 800- अन्य व्यय 0401-पी०एम० गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर-24-वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि रु.897.00 करोड़ के सापेक्ष रु.403.57 करोड़ (रु. चार अरब तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रु 226.57 करोड़ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रु.177.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/गीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।
 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
 3. स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा।
 6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
 7. स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/गीडा द्वारा रखा जाएगा।
 8. प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
 9. प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त धनराशि का 75% व्यय करने के उपरान्त इसकी सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे, ताकि वित्त विभाग द्वारा इसकी सूचना भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा सके।
 10. प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाएगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,03,57,00,000 (रुपये चार अरब तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 4875608000401 पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्षेत्रों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-141-X-2022-23-दिनांक:17-1-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

संख्या- 5/2023/3253-77-6-22-6099-93-2022 Part-1, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक- वाई0ई0ए0/वित्त/1217/2022 दिनांक 22.01.2022 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक 4994/गौडा/अभि0नि0-6/शासन/2022-23 दिनांक 28.12.2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1/4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।